

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फॅक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

राँची, दिनांक 24/06/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत राज्य के पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, प्रबंधन एवं साफ-सफाई आदि हेतु कुल ₹ 14,94,160.00 (चौदह लाख चौरान्बे हजार एक सौ साठ रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 08, दिनांक 30.04.2026 एवं उपायुक्त, राँची का पत्रांक 181/जि०पर्य०, दिनांक 02.06.2026

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश तथा प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष -3452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -16- पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, प्रबंधन एवं साफ-सफाई आदि, विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय, 39 - रख-रखाव एवं मरम्मत (विपत्र कोड 46-S-3452-80-796-16-00-03-39) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विषयांकित कार्य हेतु ₹ 14,94,160.00 (चौदह लाख चौरान्बे हजार एक सौ साठ रू०) मात्र आवंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से की जायेगी।
3. इस राशि से अधिसूचित पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, प्रबंधन एवं साफ-सफाई आदि का कार्य किया जायेगा।
4. आवंटित राशि की निकासी उपायुक्त, राँची के पत्रांक 181/जि०पर्य०, दिनांक 02.06.2026 द्वारा किये गये अधियाचना के आलोक में संबंधित कार्य हेतु किया जायेगा।
5. उपायुक्त, राँची अंकेक्षण हेतु अभिलेख सुरक्षित रखेंगे।
6. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
7. आवंटित राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन के अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।
8. उपायुक्त, राँची समय - समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. राशि का विचलन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।


11. उपायुक्त, राँची योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12. आवंटित राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2027 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध सुनिश्चित करेंगे।


(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : पर्य०/यो० - 25/2018 -13...../राँची, दिनांक.....24.06.2026...../

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड/निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, राँची/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, राँची/सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

चार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - PAR/YO-25/2018/13

दिनांक - 24-Jun-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 34528079616000339 3452 - पर्यटन 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 16 - पर्यटक स्थलों के रखरखाव, प्रबंधन एवं साफ-सफाई आदि 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	34743	RNCOTH010 MANJUNATH BHAJANTRI D.C.RANCHI 39 - रख-रखाव एवं मरम्मत	1,494,160.00 रुपये चौदह लाख चौरानवे हजार एक सौ साहठ
	State Scheme : Central Scheme :	MAINTENANCE, MANAGEMENT AND CLEANLINESS ETC OF TOURIST SPOTS(1601) NA		

योग: रुपये चौदह लाख चौरानवे हजार एक सौ साहठ 1,494,160.00

क्रमिक योग:

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY